

क-13
07/08/18

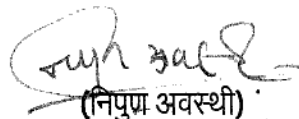
जिला एवं सत्र न्यायालय, कड़कड़मा परिसर स्थित जिलों, पूर्व, शाहदरा व उत्तर-पूर्व, की राजभाषा हिन्दी अनुभागों की, दिनांक 30/07/2018, को संपन्न हुई संयुक्त बैठक के कार्यवृत्त की प्रति, निम्नलिखित को, अभिलेख, अवलोकन व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाए :-

0555-9560

संख्या ____/हिन्दी/पूर्व /2018/दिल्ली

दिनांक 06/08/2018

1. निजी सचिव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पूर्व जिला, कड़कड़मा न्यायालय, दिल्ली
2. माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश कार्यालय, पूर्व-जिला, उत्तर-पूर्व व शाहदरा जिला, कड़कड़मा न्यायालय दिल्ली
3. माननीय नोडल अधिकारी, राजभाषा हिन्दी समिति, पूर्व, उत्तर-पूर्व व शाहदरा जिला।
4. माननीय प्रशासनिक अधिकारी, राजभाषा हिन्दी अनुभाग, पूर्व, उत्तर-पूर्व व शाहदरा जिला।
5. प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक) प्रभारी, राजभाषा हिन्दी विभाग (मुख्यालय)
6. वेबसाइट समिति, पूर्व जिला, कड़कड़मा न्यायालय, दिल्ली


(निपुण अवस्थी)

प्रशासनिक दौवानी न्यायाधीश
नोडल अधिकारी

, राजभाषा हिन्दी अनुभाग
कड़कड़मा न्यायालय, दिल्ली।

जिला एवं सत्र न्यायालय , कड़कड़डूमा परिसर स्थित जिलों , पूर्व , शाहदरा व उत्तर-पूर्व ,की राजभाषा हिन्दी अनुभागों की , दिनांक 30/07/2018, को संपन्न हुई संयुक्त बैठक का कार्यवृत्त

जिला एवं सत्र न्यायाधीश कार्यालय , पूर्व जिला , कड़कड़डूमा में स्थापित राजभाषा हिन्दी अनुभाग द्वारा प्रस्तावित , (जिसमें अन्य दो जिलों , यथा उत्तर-पूर्व व शाहदरा जिलों के राजभाषा अनुभाग से संबंधित अधिकारी व कर्मचारी भी उपस्थित रहे) बैठक, दिनांक 30/07/2018 को लघु कान्फ्रेंस हाल में बुलाई गई। बैठक में उपस्थिति इस प्रकार रही।

क्रम	पदाधिकारी का नाम	पदनाम	उपस्थिति
१	श्री निपुण अवस्थी	अ.दी. न्याया/नोडल अधिकारी ,राजभाषा हिन्दी अनुभाग , (पूर्व), ककड़ न्याया।	उपस्थित
२.	श्री अमिताभ रावत	अ.दीवानी न्यायाधीश , उत्तर- पूर्व जिला कड़कड़डूमा न्यायालय , दिल्ली	उपस्थित
३.	सुश्री विधि गुप्ता	मा. म. दंडाधिकारी ,शाहदरा जिला कड़कड़डूमा न्यायालय , दिल्ली	उपस्थित
४	सुश्री रेनू शर्मा	प्रशासनिक अधिकारी , उ. पूर्व , राजभाषा हिन्दी अनुभाग , दिल्ली	उपस्थित
५.	सुश्री गीता मनोचा	प्रशासनिक अधिकारी , शाहदरा जिला , राजभाषा हिन्दी अनुभाग , दिल्ली	उपस्थित

बैठक में उत्तर-पूर्व व शाहदरा जिलों में स्थापित राजभाषा अनुभागों के संबंधित कर्मचारीगण भी उपस्थित रहे, जिनके नाम इस प्रकार हैं :-

श्री उमेश शर्मा , प्रभारी , राजभाषा हिन्दी अनुभाग , पूर्व जिला , श्री अजय कुमार झा , न्यायिक सहायक , हिन्दी अनुभाग , पूर्व जिला , सुश्री मीनाक्षी , कनिष्ठ न्यायिक सहायक ,राजभाषा हिन्दी अनुभाग , उत्तर-पूर्व जिला व श्री पुनीत अरोड़ा, कनिष्ठ न्यायिक सहायक , राजभाषा अनुभाग, शाहदरा जिला।

1. बैठक में , जिला न्यायालय कड़कड़डूमा परिसर स्थित तीनों जिलों , यथा , पूर्व , उत्तर-पूर्व व शाहदरा जिला में राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार व प्रयोग को बढ़ावा देने से संबंधित विषयों पर चर्चा हुई। चर्चा के बाद समिति द्वारा निम्नलिखित अनुशंसाएं प्रस्तुत हैं :-

समिति ने पिछली बैठक दिनांक 07/06/2018 ,के कार्यवृत्त में दी गई अनुशंसाओं और उनपर की गई कार्यवाही/पत्राचार आदि का अवलोकन किया। कड़कड़डूमा न्यायालय परिसर में स्थित तीनों जिलों में , राजभाषा हिन्दी में किए जा रहे कार्य , तथा भविष्य में राजभाषा हिन्दी में किए जा सकने वाले कार्यों हेतु सुझाव व संभावनाएं , आदि की जानकारी से ,माननीय न्यायिक अधिकारियों को संबंधित जिले के राजभाषा हिन्दी अनुभाग के कर्मचारियों द्वारा , अद्यतित कराया गया।

2. बैठक में कड़कड़डूमा न्यायालय परिसर स्थित तीनों जिलों में नियुक्त सभी वर्ग के कर्मचारियों को दिए जा रहे , हिन्दी टंकण प्रशिक्षण (युनिकोड) को माननीय न्यायिक अधिकारियों , ने संतोषजनक मानते हुए भविष्य में भी इसे जारी रखने का निर्देश दिया

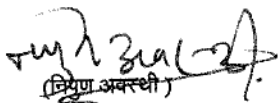
अमिताभ
श्रीपक उमेश
विधि गुप्ता
रेनू शर्मा
गीता मनोचा

| माननीय न्यायिक अधिकारियों को सूचित किया गया कि, दिनांक 05/07/18 से 17/07/18 तक तथा 18/07/18 से 28/07/18 तक तीनों जिलों के राजभाषा हिन्दी अनुभाग ने कम्प्यूटर विभाग के सहयोग से, तीनों जिलों से 25-25(कुल 75) प्रशिक्षु कर्मचारियों को युनिकोड हिन्दी टंकण का प्रशिक्षण दिया)।

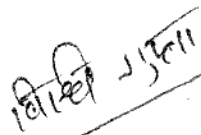
3. बैठक में, कड़कड़ूमा जिला न्यायालय दिल्ली में विविध हिन्दी प्रतियोगिताओं का आयोजन, विषय पर उपलब्ध/प्राप्त, आदेशों, पत्रों, नियमावली, बजट आवंटन, आदि पर विस्तारपूर्वक विचार विमर्श किया गया। तीनों जिलों के नोडल अधिकारी, राजभाषा हिन्दी अनुभाग, संयुक्त रूप से, हिन्दी की विविध प्रतियोगिताओं विषयक सभी बिन्दुओं पर संचालक दिशा निर्देश देंगे। ऐसे आशय पर तीनों जिलों के माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने भी सहमति जताई। माननीय अधिकारियों ने इसे वरीयता में लेकर इस पर त्वरित अग्रसर होने का आशय प्रकट किया। तीनों जिलों के राजभाषा हिन्दी अनुभाग में पदस्थापित प्रभारी अधिकारी व कर्मचारी संयुक्त रूप से तीनों जिलों के नोडल अधिकारियों के दिशा-निर्देश में, इन प्रतियोगिताओं के संचालन में सहयोग देंगे।

4. कड़कड़ूमा न्यायालय परिसर स्थित पुस्तकालय में, विधिक व प्रशासनिक पुस्तकों/शब्द-कोशों / पत्र-पत्रिकाओं की वर्तमान में उपलब्धता, आदि की जानकारी, उपस्थित सभी अधिकारियों को दी गई। माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पूर्व, उत्तर-पूर्व व शाहदरा के निर्देशानुसार, न्यायालय में उपयोग की जा सकने वाली, विधिक व प्रशासनिक पुस्तकों, संदर्भ-ग्रंथों, पत्र-पत्रिकाओं, जो कि राजभाषा हिन्दी में हो, की सूची/नाम, पुस्तकालय समिति, केन्द्रीय जिला, तीस हज़ारी न्यायालय को प्रेषित किया जाए, ताकि भविष्य में पुस्तकों की क्रय के समय इन पर विचार किया जाए।

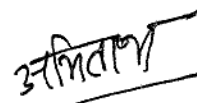
इसके साथ ही यह बैठक माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूर्व, माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तर-पूर्व व माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश शाहदरा का आभार व्यक्त करते हुए समाप्त हुई। बैठक के कार्यवृत्त अवलोकन व अभिलेख हेतु, केन्द्रीय कार्यान्वयन समिति, जिला न्यायालय दिल्ली को प्रेषित किया जाए।


(निष्पन्न अवस्थी)

अतिरिक्त दीवानी न्यायाधीश (पूर्व)
नोडल अधिकारी,
राजभाषा हिन्दी कार्यान्वयन समिति (पूर्व)
कड़कड़ूमा न्यायालय, दिल्ली


(विधि गुमा)

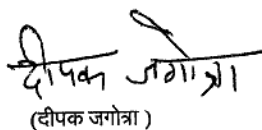
महानगर दंडाधिकारी (शाहदरा)
नोडल अधिकारी,
राजभाषा हिन्दी कार्यान्वयन समिति (शाहदरा)
कड़कड़ूमा न्यायालय, दिल्ली


(अमिताभ रावत)

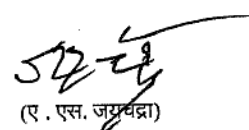
व. दीवानी न्यायाधीश (उत्तर-पूर्व)
नोडल अधिकारी
राजभाषा हिन्दी कार्यान्वयन समिति (उ.पूर्व)
कड़कड़ूमा न्यायालय, दिल्ली


(राकेश तिवारी)

जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पूर्व)
कड़कड़ूमा न्यायालय, दिल्ली


(दीपक जगोत्रा)

जिला एवं सत्र न्यायाधीश (उत्तर-पूर्व)
कड़कड़ूमा न्यायालय, दिल्ली


(ए. एस. जयसिंग)

जिला एवं सत्र न्यायाधीश (शाहदरा)
कड़कड़ूमा न्यायालय, दिल्ली